

निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना में हो सकती है कार्यवाही

जबलपुर। सरकारी स्कूल के बच्चों को साइकिल की बजाय राशि उपलब्ध करवाना शिक्षा विभाग के लिए समस्या बन गया है। विभाग शिक्षकों से साइकिल की रसीद और चेसिस नंबर मांग रहा है। ऐसे में शिक्षकों का बुरा हाल है। अब वे बच्चों के मान मनौव्वल में लगे हैं। स्थिति को ऐसे समझ सकते हैं कि अब तक मात्र 700 बच्चों ने ही चेसिस नंबर दिए हैं, जबकि करीब 2800 बच्चों से चेसिस नंबर लिए जाने शेष हैं। गौरतलब है कि निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत है। वह जिस ग्राम का निवासी है उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय अथवा हाई स्कूल संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम अथवा शहर के शासकीय स्कूल में जाता है, तो उसे निःशुल्क सायकिल वितरण योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ छात्र को



कक्षा 9 वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलता है। निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004-05 से संचालित है। नियम में बदलाव योजना के तहत बच्चों को सीधे साइकिल का ही वितरण किया जाता रहा है।

शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी एक ओर जहां बच्चे आसानी से साइकिल का चेसिस नंबर उपलब्ध नहीं करा रहे वहीं दूसरी ओर विभाग इसके लिए शिक्षकों पर दबाव बना रहा है। नंबर न मिलने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। जिससे शिक्षक तनाव में हैं। शिक्षक बच्चों से संपर्क कर चेसिस नंबर देने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं बच्चे कई तरह के कारण बता कर हाथ खड़े कर दे रहे हैं।

रहा है जो नहीं मिल रहा। कक्षा 9वीं के जिन बच्चों को साइकिल की राशि दी गई थी उसे पोर्टल पर अपडेट किया जाना है। इसके लिए डीडीओ कार्यालय द्वारा सभी स्कूलों को पत्र भेजे गए हैं। पोर्टल को लगातार अपडेट किया जा रहा है। कई बच्चों ने अभी तक चेसिस नंबर नहीं दिए, इससे समस्या बन रही है।

तत्काल बिजली खरीदी में 600 करोड़ का घोटाला!

उपभोक्ता मंच का आरोप आयोग को संज्ञान लेने भेजा मेल

जबलपुर। 27 अप्रैल की रात से हुई 700 मेगावाट तत्काल बिजली खरीद में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह आरोप नागरिक उपभोक्ता मंच ने लगाए है। मंच ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को इमेल भेजकर निवेदन किया है कि स्वत संज्ञान याचिका दायर कर बिजली कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए। जैसे की पूर्व में ऐसे ही आंशका पर आयोग ने याचिका नम्बर 28/2008 में जवाब मांगकर कार्यवाही की थी। डॉ. नाजपांडे ने कहा कि आयोग ने 06 मार्च को जारी टैरिफ ओडश में पेज 26 97318 मीयू बिजली खरीदी आवश्यकता को मंजूरी देकर खरीदी रेट 5.73 निर्धारित किया है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली से बिजली खरीदी करने को आयोग के आदेशों को ताक में रख दिया गया। मेरिट आर्डर के नियमों की अनदेखी कर आयोग द्वाा निर्धारित रेट से 4 रुपये प्रति यूनिट ज्यादा देकर तत्काल बिजली खरीदी गई। मंच के



रजत भार्गव, वेदप्रकाश अधौलिया, मनीष शर्मा, डीआर लखेरा, सुशीला कनौजिया ने कहा इस तत्काल बिजली खरीदी में पारदर्शिता गायब है। ऐसे में आयोग को तत्काल कदम उठाकर कार्यवाही करनी चाहिये।



बादलों की बसाहट से धूप से मिली राहत

जबलपुर। पश्चिमी विशोभ का असर बना हुआ है। जिससे रविवार को दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। इस बीच दोपहर में धूप के बीच हल्की बूदाबांदी भी हुई। इस सबके बावजूद पारा 40 डिग्री के पार निकल गया और जनजीवन उमस भरी गर्मी से बेचैन रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अभी तीन दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। धूप-बादल के बीच जबलपुर जिले में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। कहीं-कहीं 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से आंधी व झंझावत का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। धूप-बादल के बीच दिन भर रस्साकशी होती रही। इस बीच गर्मी भी लोगों का पसीना छुड़ाती रही। चटख धूप से बादल तो राहत देते रहे पर वातावरण में घुली गर्माहट से लोग परेशान रहे। मौसम विभाग का कहना है कि विदर्भ के ऊपर एक ट्रोणिका बन गई है। जिससे अगले 24 घंटों के दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिसकी रफ्तार 40-50 किलोमीटर तक हो सकती है।वहीं बादलों की बसाहट के बीच संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा या गरज चमक के साथ पानी की बौछारें भी पड़ सकती हैं। स्थानीय मौसम विज्ञान के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घण्टों के दौरान नगर का अधिकतम तापमान 40.03 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1 डिग्री कम रिकार्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 3 डिग्री अधिक रिकार्ड किया गया। हवा में नमी प्रातःकाल 42 प्रतिशत और सांय काल 32 प्रतिशत आंकी गई। सूर्योदय सुबह 5.30 पर और सूर्यास्त शाम 6.45 पर होगा। मौसम कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवाएं दिशा से 6 से 8 किलोमीटर प्रति रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। प्रदेश में सर्वाधिक 44.4 डिग्री तापमान पूना में दर्ज किया गया। गत वर्ष आज का अधिकतम तापमान 40.5 और न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री पर रहा। अगले 24 घण्टों के दौरान संभाग में धूल भरी आंधी के साथ कहीं-कहीं गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है।

हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ निरस्त की याचिका एसडीएम के आदेश पर सिविल कोर्ट का आदेश बंधनकारी

हाई कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में साफ किया कि एसडीएम के आदेश पर सिविल कोर्ट का आदेश बंधनकारी है। इसी के साथ न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकलपीठ ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को उचित करार देते हुए उसके विरुद्ध दायर याचिका निरस्त कर दी। हाई कोर्ट में यह मामला जबलपुर राईट टाउन निवासी तुषार गोकलानी की ओर से दायर किया गया था। दरअसल, अनावदेक संतोष पटेल की भूमि पर से रास्ते के विवाद के संबंध में याचिकाकर्ता तुषार गोकलानी के बीच अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष मामला लंबित था। उसी दौरान याचिकाकर्ता के पिता कमल कुमार गोकलानी ने समान विवाद के संबंध में सिविल सूट दायर कर दिया। जिसमें सिविल कोर्ट ने यह प्रतिपादित करते हुए कमल कुमार गोकलानी का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया कि प्रत्यर्थी संतोष पटेल की भूमि से कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी ने सिविल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध यह प्रतिपादित करते हुए अंतिम आदेश पारित किया कि प्रत्यर्थी संतोष पटेल की भूमि से रास्ता है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त फैसले के विरुद्ध अनावदेक संतोष पटेल ने एडीजे कोर्ट में क्रिमनल रिवीजन पेश की। जिसे स्वीकार करते हुए



एडीजे कोर्ट ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट का आदेश अनुविभागीय अधिकारी पर बंधनकारी होता है। उक्त आदेश के विरुद्ध यह याचिका तुषार गोकलानी की ओर से हाई कोर्ट में दायर की गई। हाई कोर्ट ने एडीजे कोर्ट द्वारा क्रिमनल रिवीजन में दिये गये फैसले को उचित करार देते हुए दायर याचिका निरस्त कर दी। मामले में अनावदेक संतोष पटेल की ओर से अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी व सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

पांच करोड़ मुआवजा वसूली आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

हाइकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने पिता की मृत्यु के बाद उनके वारिसाओं से चेक बाउंस के मामले में 5 करोड़ के मुआवजे की राशि की वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने अपीलीय कोर्ट को अपील पुनर्जीवित करने और मृतक चन्नी रंधावा के वारिसाओं को सुनवाई का पूरा मौका देते हुए 90 दिन के भीतर अपील का निराकरण करने कहा। इटारसी में रहने वाले हरप्रीत रंधावा और सिमरन रंधावा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस जायसवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया क इटारसी की एक कोर्ट ने हरप्रीत के पति चन्नी रंधावा को चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष के कारावास की सजा और 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। चन्नी ने अपील पेश की। न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर अपीलीय कोर्ट ने चन्नी को जेल भेज दिया। जेल में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इस पर अपीलीय कोर्ट ने अपील निरस्त कर दी, लेकिन यह निर्धारित किया कि मृतक के वारिसाओं से मुआवजे की राशि वसूली जा सकती है। इस पर चेक बाउंस मामले के मूल शिकायतकर्ता ने मुआवजे की वसूली के लिए एजेएमएफसी कोर्ट में कुर्की के लिए आवेदन किया। इस पर कोर्ट ने मृतक की पत्नी हरप्रीत और पुत्री सिमरन को आरोपी दर्शाते हुए समन जारी कर दिया। इसलिए उक्त दोनों कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।



अवैध रेत से भरी तीन ट्रेक्टर ट्रालियां जब्त

जबलपुर। नर्मदा तटों पर माफिया द्वारा रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ग्वारीघाट व बेलखेड़ा पुलिस ने कल अलग-अलग स्थानों ने दक्षिण देकर अवैध रेत से भरी तीन ट्रेक्टर ट्रालियां जब्त कर आशीष ट्रेक्टर चालकों की तलाश जारी है। ग्वारीघाट पुलिस ने कल मुखबिर की सूचना पर ललपुर घाट नर्मदा नदी से अवैध रेत निकालकर दो ट्रेक्टर ट्रालियों में भरकर ला रहे दो लोगों को शासकीय स्कूल के पास रोका तो वे वाहन छोड़कर भाग गये। पुलिस ने ट्रेक्टर ट्रालियां जब्त कर इनके मालिकों का रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पता लगाया तो जानकारी मिली कि उक्त ट्रेक्टर अंशुल यादव व रघुनाथ यादव के नाम पर है। पुलिस ट्रेक्टर मालिकों व चालकों के खिलाफ धारा 379, 414, 34 तथा मग्न खान खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इसी तरह बेलखेड़ा पुलिस ने भी मुखबिर की सूचना पर नीमखेड़ा गौरीघाट से अवैध रेत लोड कर ट्रेक्टर ट्राली में ला रहे एक व्यक्ति को रोका तो वह वाहन छोड़कर भाग गया। रेत से भरी ट्रेक्टर ट्राली जब्त कर पुलिस ने फरार चालक पर धारा 379, 4/21 खान खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।



भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं आद्य शंकराचार्य

हरिभूमि, जबलपुर।

आज से 2530 वर्ष पूर्व भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी का अवतार भारत के केरला प्रदेश में हुआ था वह एक ऐसा समय था जब हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध विपरीत संस्कार उत्पन्न किए जाने लगे थे कलयुग के प्रभाव के कारण मानव मस्तिष्क विपरीत दिशा में चिंतन करने लगा था बौद्धों ने ब्रह्म विद्देश फैला दिया था हिंदू धर्मोधारक आद्य शंकराचार्य जी के अवतरण दिवस पर बगलामुखी सिद्ध पीठ शंकराचार्य मठ में आयोजित धर्म संगोष्ठी में ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी महाराज ने कहा कि वेद प्रमाण नहीं है का उद्घोष होने लगा था पाखंडियों ने यज्ञ के नाम पर शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था धर्म परिवर्तन को ही धर्म मान लिया गया था वेद विरुद्ध मतों का जन्म होने लगा था कल्याण के पाठ पर चलने वाले लोग भ्रमित होने लगे थे ऐसी परिस्थिति में देवाधिदेव महादेव ही आद्य शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए आद्य शंकराचार्य ने तत्काल 72 मतों का खंडन किया और चार मतों की स्थापना की वेदों की रक्षा के लिए



चारो मतों को एक एक वेद प्रदान किए चार चंद्रमौलेश्वर की भी पूजन का विधान किया वेदांत सिद्धांत की रक्षा के लिए उन्होंने भाष्य लिखा अपने जीवन काल में भारत में छापे हुए अधिकांश मतों को खंडन किया और चार मतों की स्थापना की वेदों की रक्षा के लिए

डॉ नर्मदा प्रसाद शर्मा प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन सिद्धांत का पालन कर उन्होंने भारत की अखंडता बनाए रखने में अद्वितीय भूमिका निर्वहन किया कश्मीर में सर्वज्ञा पिथारोहण कर के अपनी आलोकिकता का परिचय दिया। इस अवसर पर उपस्थित गुरु

भक्त ब्राम्हण सभा के अध्यक्ष वासुदेव शास्त्री महापौर जगदबहादुर सिंह अनू विधायक अशोक रोहिणी पंकज दुबे संदीप जैन प्रभा यादव मधु यादव ब्रजेश दुबे मनोज सेन, प्रकाश द्विवेदी श्रीमती रिचा मिश्रा ऋषि अग्रवाल आदि भक्तगण उपस्थित थे।

शांतम प्रज्ञा आश्रम में जगदगुरु आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई

जबलपुर।

जगदगुरु आदि शंकराचार्य की जयंती के अवसर पर शांतम प्रज्ञा आश्रम नशा मुक्ति मनो आरोग्य दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र में पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस अवसर पर जगदगुरु आदि शंकराचार्य के तैलचित्र पर तिलक लगाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आश्रम संचालक क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिलॉसफर मुकेश कुमार सेन ने बताया कि जगदगुरु आदि शंकराचार्य का जन्म सनातन हिन्दू धर्म की पुनरुत्थापना के लिए हुआ था, इन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना जाता है। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च माना जाता है, भारत में शंकराचार्य पद की स्थापना आदि



शंकराचार्य ने ही की थी। शंकराचार्य के वेदांत को अद्वैत कहा जाता है, उनका मानना है कि इस वास्तविकता और अनुभवी दुनिया की सभी चीजों की जड़ें ब्रह्मा से जुड़ी हैं, यह अपरिवर्तनीय चेतना है। शंकराचार्य ने दुनिया को माया का रहस्य समझाया था। अंत में सभी को प्रसाद वितरण कर नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा दिलाई गई, इस अवसर पर मुकेश कुमार सेन, संतोष अहिरवार सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

महर्षि सुदर्शन अध्यात्म सत्संग 18, 19 मई को



जबलपुर। मानव कल्याणार्थ, सदभाव, शांति, सनातन धर्म एवं संस्कृति से सम्पूर्ण समाज को जोड़ने हेतु महर्षि सुदर्शन आध्यात्मिक सभा की समीक्षा बैठक सत्संग, हवन (यज्ञ), भजन संध्या एवं भंडारे की तैयारी को लेकर रामपुर सेठीनगर में अर्जुन नन्हेट के निवास पर पुण्य मठत कालीनंद महाराज की उपस्थिति में आयोजित की गई। जिसमें आगामी 18 एवं 19 मई को दो दिवसीय आयोजन की जानकारी महाराज श्री को दी गई एवं उक्त धार्मिक अनुष्ठान के संबंध में महाराज श्री ने आयोजकों को मार्गदर्शन दिया। बैठक में प्रसादीलाल बिरहा, एड. विनोद डोंगे, श्यामनारायण बिहारी, जागेश समुन्द्रे, नंदलाल चोहटेल, ओपी नन्हेट, पवन राना, सतीश समन, सुखदीन कटारे, शिवम नन्हेट, मनोहर रान, दिलीप महात्मा, अनिल ठकुराशी, जितेन्द्र कुण्डे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रेल स्काउट कैम्प ललपुर ग्वारीघाट में संपन्न



जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स जबलपुर मंडल द्वारा एक दिवसीय कैम्प ललपुर ग्वारीघाट में संजय कुमार सिंह अपर मंडल रेल प्रबंधक, सुबोध विश्वकर्मा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, श्रीमती राजश्री द्विवेदी मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, नितेश कुमार सोने मंडल वाणिज्य प्रबंधक, सच्चोपति नंदन सहायक कार्मिक अधिकारी कल्याण, अनिल चौबे जिला सचिव, संजीव तिवारी सहायक सचिव मीडिया प्रभारी स्काउट सेल के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें स्काउट्स गाइड्स बच्चों को टेंट बनाना, फर्स्ट एड, पायनियर, कम्पास की जानकारी एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मंडल के सीनियर रोबर स्काउट्स गाइड्स शामिल हुए।

हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर संपन्न

जबलपुर। वक्फ मोमिन ईदगाह ट्रस्ट गोहलपुर, जबलपुर में वर्ष 2024 में हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हाजी मुहम्मद असगर अंसारी की उपस्थिति में रविवार दोपहर 3 बजे किया गया। शिविर का आगाज कुरान-ए-पाक कि तिलावत व नात-ए-रसूल और लब्बेक अल्लाहुम्मा लब्बेक के बुलंद आवाज के साथ किया गया। हज व उमराह के फजाइल पर हाजी मुफ्ती महमदुल हसन ने विस्तार से प्रकाश डाला व हर मसले की जानकारी दी। सफर ए हज की तैयारी पर हाजी खुशीद अनवर ने अपने सरल एवं सहज अंदाज में समझाया। तत्पश्चात हज व उमराह का तरीका, हज के पांच दिन मीना, अराफात मुजदल्फा में कयाम, अहराम के दो कपड़े, हज



के दौरान कुछ आम गलतियों पर विशेष ध्यान देने आदाबे जियारत-ए-मदीना, मदीना मुनव्वरा में अहम मुकामात पर हाजी अब्दुल माजिद रहमानी ने अपने अनुभव के अनुसार समझाया। इस अवसर पर हज के लिए

जाने वाले महिला, पुरुषों के सवालों के जवाब विस्तार से मुफ्ती महमदुल हसन ने दिए। महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण अलग से किया गया था। उक्त शिविर में बड़ी तादाद में हज के लिए जाने वाली महिलाओं ने

हिस्सा लिया। मोमिन ईदगाह गोहलपुर कमेटी ने सभी हज पर जाने वाले हाजियों को मुबारकबाद पेश की तथा शिविर को सम्पन्न करने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।



संस्था सर्वमंगला ने आयोजित किया आनंद मेला व एक शाम संतों के नाम कार्यक्रम

जबलपुर। सामाजिक संस्था सर्वमंगला का आनंद मेला एवं एक शाम संतों के नाम का आयोजन 12 मई को किया गया। महिलाओं की सामाजिक संस्था सर्वमंगला द्वारा समय-समय पर महिलाओं के निरंतर विकास एवं रोजगार हेतु नये-नये आयामों का प्रयास किया जाता है। इसी दौरान रविवार शाम को कचनार क्लब में आनंद मेला आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत फूड स्टॉल के साथ महिलाओं द्वारा अभंग, नृत्य नाटिका, संतों पर आधारित विशेष तौर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर नीलिमा देशपांडे, जया पागे, लीनावति, प्रीति गौरे, रंजना वर्तक, स्वाति गाडगिल, सोनल उज्जैनकर, प्रीति जोशी, अर्पिता नायर, राधिका बेहरे सहित सभी महिलाएं उपस्थित थीं।

45वीं जिला स्तरीय तैराकी एस.पी.पी.एस. में 19 मई को

जबलपुर जिला तैराकी संघ जबलपुर के तत्वावधान में 19 मई रविवार को 45वीं जिला स्तरीय तैराकी वॉटर पोलो प्रतियोगिता आयोजित है जिसका उद्घाटन चेयरमैन अनिल ग्रोवर सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल में प्रातः 8:00 करेंगे। स्कूल की डायरेक्टर सुश्री तरंग ग्रोवर ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित तैराक बालक/बालिका आगामी दिनांक 10 से 13 जून 2024 को ग्वालियर में होने जा रही 52वीं म.प्र. राज्य स्तरीय ऐक्वाटिक (AQUATIC) चैम्पियनशिप में जबलपुर टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता स्वीमिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया के नियमानुसार सभी आयु वर्ग आयोजित होगी, इसमें भाग लेने वाले बालक एवं बालिका अपने नाम व ईवेंट, आयु सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं प्रवेश शुल्क के साथ सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल, पोलीपाथर में शिवम श्रीवास्तव, नवराज सिंह एन.आई.एस. एवं भंवरताल स्वीमिंग पूल में शिवम पटेल के पास अंतिम दिनांक 17.05.2024 को सायं 07:00 बजे तक भेजने की अपील की है।



महाकौशल कम्प्यूटर डीलर्स एसोसिएशन का शपथ ग्रहण संपन्न

जबलपुर। विगत दिवस महाकौशल कम्प्यूटर डीलर्स एसोसिएशन, जबलपुर द्वारा होटल सत्य अशोक, राइट टाउन, जबलपुर में नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में एसोसिएशन की मार्गदर्शन समिति के सदस्य शिशिर जैन द्वारा बी.एल. पटेल को अध्यक्ष एवं राजकुमार पटेल को सचिव पद पर संस्था के संविधान के सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात अध्यक्ष बीएल पटेल द्वारा धर्मेश नेगांधी एवं आशीष अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद, अनिल जैन को कोषाध्यक्ष, अनिल गुप्ता को सह-सचिव एवं अमित चावला, प्रकाश सिन्हा, भूपेश सोनी, सतीश तिवारी, दीपक पटेल, रमेश विश्वकर्मा, विनीत शुक्ला, रामानुज मिश्रा एवं सौरभ समैया को कार्यकारिणी सदस्यों के पद पर संघ के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।

साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन में वक्ताओं के उद्गार

परिचय ही परिणय का प्रथम आधार



संरक्षक भरत लाल साहू, केआर साहू, सुश्री श्यामा बहनजी राधे श्याम साहू, वीरेन्द्र साहू, उदयभान साहू, सुधीर साहू, सुबोध साहू, रामकुमार साहू आदि मंचासीन थे। इस अवसर पर रमेश साहू के संयोजन में प्रकाशित सामाजिक की पत्रिका प्रयास का विमोचन भी किया गया। परिचय सम्मेलन में भोपाल, सागर, सिवनी, कटनी और जिले के आसपास के

क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्वाजातीय जनशामिल हुये। परिचय सम्मेलन में करीब 200 से अधिक युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया। खास बात यह रही कि लोगों ने परिचय मिलने के बाद बेटा बेटियों के परिजनों से मौके पर ही संपर्क कर रिश्ते की बात शुरू कर दी। कार्यक्रम की एक महीने से अधिक समय से तैयारी की जा रही थी। आगंतुकों के

लिये आयोजन स्थल पर सुरूची भोज भी रखा गया। अतिथियों का स्वागत आयोजकों ने किया। कार्यक्रम का संचालन उमेश साहू ओज एवं एडवोकेट अर्जुन साहू ने किया। कार्यक्रम में डॉ. दीपक साहू, पार्षद संजय साहू, खुशीलाल साहू, धीरज गगन, उमाकांत, दीपक, रवि साहू सहित अनेक वरिष्ठ समाज सेवी और युवा मौजूद रहे।

विद्यार्थियों ने किया निराश्रित वृद्धाश्रम का भ्रमण

जबलपुर। ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ़ एक्सलेंस बी. काम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा निराश्रित वृद्धाश्रम जबलपुर का भ्रमण किया गया। जिसमें लगभग 30 से 40 विद्यार्थी उपस्थित रहे। महाविद्यालय के संचालक इंजी. विशेष जैन ने विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान की ताकि इस तरह के भ्रमण द्वारा उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो साथ ही साथ समाज के

प्रति वह अपनी जिम्मेदारियों को समझे। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. कीर्ति विश्वकर्मा ने विद्यार्थियों को बुर्जों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहने का मार्गदर्शन प्रदान किया उन्होंने वृद्धजनों के सम्मान को बनाये रखने के लिए भी विद्यार्थियों को निर्देशित किया। वृद्धाश्रम में लगभग 85 वृद्धजन है जो बहुत शांत एवं सरल स्वभावी हैं। विद्यार्थियों ने उनसे वादा किया

कि वह उनके सम्पर्क में रहेंगे एवं जरूरत पड़ने पर उनकी हर संभव मदद करेंगे। विद्यार्थियों के महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डा. कल्पना जैन ने वृद्धाश्रम का भ्रमण किया एवं कुछ मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन भी विद्यार्थियों द्वारा बुर्जों के लिए किया। सभी विद्यार्थियों ने छाड़, फल बिस्किट, अनाज आदि का वितरण किया।



स्मैक के झूठे प्रकरण में न्यायालय ने महिला को किया दोषमुक्त

► जिस महिला आरक्षक ने तलाशी पंचनामा तैयार किया उस पंचनामा में उस महिला आरक्षक के न तो हस्ताक्षर हैं और न ही उसे परीक्षित कराया गया।



जबलपुर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) एक्ट सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने धारा 8/21 (बी) की आरोपिता सखी बाई पारधी को निराधार आरोप के चलते दोषमुक्त कर दिया है। आरोपिता की ओर से एड. राजेश यादव, ममता यादव एवं अमित यादव ने पैरवी की।

एड. राजेश यादव ने आरोपित महिला की ओर से मामले से संबंधित न्याय दृष्टांत भी दिये, जिसमें धारा 50 के प्रावधानों को न्यायालय के आदेशात्मक कठोरता से पालन के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। अतः इस मामले में धारा 50 का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है।

प्रकरण में एक स्वतंत्र साक्षी
राम यादव ने अभियोजन की

दुर्घटना दावा मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अनुदान फैसले में व्यवस्था दी है कि दुर्घटना वाले के मामले में यदि वाहन के ड्राइवर को चालक के वालक के झूलविंग को कारण का परीक्षण नहीं किया है, तो बीमा कंपनी की जवाबदारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में दावा रिहा वाहन मालिक को पहन करनी होगी। इस मत के साथ जस्टिस एके पानीवाल की एकलपीठ ने वाहन मालिक प्रदीप सिंह परिहार की याचिका निरस्त करने हुए मोटर दुर्घटना वालक अधिकरण (एसएसटी) के फैसले को उचित करवा दिया। दरअसल, रीवा की रहने वाली रुबीना के पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस

कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी का कहना है कि वह आरोपित महिला को नहीं जानता है और न ही उसके समक्ष आरोपित महिला से कोई वस्तु जप्त की गई थी। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष बताया कि वह ऑटो चलाता है, कुछ सामने पहने थाना कोतवाली के साने पुलिस वाले वाहन चैकिंग के नाम पर उससे कई कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अभियोजन की कहानी का भी समर्थन नहीं किया है। यदि स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया जाता तो उससे कोई विशेष फर्क

ड्राइविंग कौशल का परीक्षण नहीं तो वाहन मालिक जिम्मेदार

मामले में एमएससीटी ने दावा राशि तो निर्धारित की, लेकिन कहा क कंपनी या राशि मुचुता करके बाद में एमएस मालिक से सुलझेगी।
वहनसीटी ने अपने आदेश में कहा था क यूकै दाहन चवानो वाले ड्रायर के पास वही लाइसेंस नहीं था और वहन मालिक ने भी तालक की ड्राइविंग कक्षा का परीक्षण नहीं किया है। इसलिए दावा राशि के मुगतान को जिम्मेदारी बीमा कंपनी की नहीं, वरन मालिक की होगी।
नेशनल इश्योरेंस कंपनी की ओर से उधेवनदा प्रमोश बुलवा ने पक्ष रखा। अक्टोबरी दलील दी क एमएससीटी ने सभी साक्ष्यों पर विचार करने और एमएस की जांच करने के बाद ही निर्णय दिया है, इसलिए

नहीं पड़ता, बशर्ते पुलिस विभागीय साक्ष्य संपूर्ण रूप से विश्वसनीय पाई गई हो। इस मामले में जपतीकाई ईश्वरीय पटले की साक्ष्य को न्यायालय ने विश्वसनीय साक्ष्य की कोटि में नहीं रखा है और मामले में अधिनियम की धारा 50 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन की कहानी और भी कमजोर हो जाती है।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 7 मार्च 2018 को थाना कोतवाली जिल्ला जबलपुर की पुलिस चौकी उखर में पदस्थ चौकी प्रभारी ईश्वरीय पटले को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला सख्त बाई पार्थी जिसकी उम्र 60 वर्ष है जो पीले रंग की साड़ी व हल्दी रंग का ब्लाउज पहने है। उसके सिंगे के बाल सफेद हैं वह सेंट्रल बैंक के बाजू में चेरीताल रोड के किनारे खड़ी है और अपने पास अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर (सैक) लेकर खड़ी है और किसी को बेचने के प्रयास में है।

स्कूल खुलते ही
विद्यार्थियों को मिल
जाएंगी पाठ्यपुस्तकें

जबलपुर। सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू हो गया है। अब गीर्वाणवक्ताश की छुट्टियाँ एक मई से लग गई हैं। अब 15 जून के बाद स्कूल खुलेंगे और इसके बाद पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी। अब तक पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए सिर्फ अग्रगण्य पुस्तिका का वितरण किया गया है, वहीं नौवीं से 12वीं तक के लिए खिज कोर्स की किताबों का वितरण भी कर दिया गया है। अभी पाठ्य पुस्तकों का वितरण नहीं किया गया है। 16 जून से स्कूल खुलने ही पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाना है। अब मध्य पाठ्यपुस्तक निगम की ओर से 70 प्रतिशत किताबें तैयार कर ली गई हैं। इन्हें डिपो में मेज भी दिया गया है। अभी 30 प्रतिशत किताबों की छपाई की जानी है। अभी एनसीईआरटी की कुछ किताबें तैयार नहीं हो पाई हैं। बता दें कि हर साल मध्य पाठ्यपुस्तक निगम की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क वितरित की जाने वाली करीब सात करोड़ किताबें तैयार की जाती हैं।

मुम्बई के बाद
अब हैदराबाद रूट
भी बंद

जबलपुर। जबलपुर हवाई अड्डे का आकार भले ही बढ़ रहा हो लेकिन जबलपुर से उड़ने और जबलपुर आने वाली फ्लाइटों की संख्या लगातार कम हो रही है। जिससे विमानानल पर बढ़ती सुविधाएं सिर्फ शोभा की सुपारी बनकर रह गई हैं। आंशिक और पूर्ण रूप से विमानों की गति धमने का क्रम जारी है। इसी क्रम में अब स्पाइस की हैदराबाद-जबलपुर-हैदराबाद उड़ान को 16 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। एकांक लाइट के रद्द होने से लायर्स में आक्रोश है। प्लायर्स का कहना है कि विमान कर्पन्या जबलपुर से नई उड़ानों तो शुरू नहीं कर रही, उल्टा जो उड़ानें यहां से संचालित हो रही हैं, उन्हें भी धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्पाइस जेट का विमान सुबह सात बजकर 25 मिनट पर जबलपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और सुबह नौ बजकर 20 मिनट पर हैदराबाद पहुंचता था। वहीं शाम चार बजकर 55 मिनट पर हैदराबाद से

सुविधाएं बढ़ रही, लेकिन फ्लाइंट कम हो रही



सेवा शुरू की थी। साप्ताहिक उड़ान प्रत्येक शनिवार को आती-जाती थी। लेकिन विमान कम्पनी ने अप्रैल में इसका शेड्यूल जारी नहीं किया और फिर एकाएक यह उड़ान भी बंद कर दी। इसके बाद से लगातार इस उड़ान को फिर से शुरू किए जाने की मांग उठ रही है।

पिछले साल भी बंद हुई कई प्लाईट

उड़ान भरकर शाम सात बजकर 10 मिनट पर जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचता था। एकाएक इस विमान को पांच दिनों के लिए बंद किया जाना फ्लायार्स के गले नहीं उतर रहा है। कंपनी ने इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया है।अब तक हैदराबाद आने और जाने के लिए स्पाइस के अलावा इंडिगो की भी लाइट थी। अब इस रूट पर यात्रा करने वालों को अधिक फायर चुकाना पड़ेगा। गौरतलब है कि इस साल मार्च में स्पाइस जेट ने मुंबई-जबलपुर-मुंबई के लिए सीधी उड़ान

स्पाइस जेट द्वारा सभी स्टॉप पर बोमबार्डियर विमानों का संचालन किया जाता था, जो फरवरी 2023 को सभी बोमबार्डियर विमानों को हटाकर सभी स्टॉप पर स्पाइस जेट ने बोइंग विमान शुरू कर दिए थे। यह विमान रेजिना दो से तीनों स्टॉप पर उड़ान भरते थे, लेकिन एक माह में ही एक कर्मी का दम फूल गया और बोइंग विमानों की उड़ानें दो मार्व 2023 से एकएक कर कर दी गईं। पहले तो यह कहना था कि 15 दिनों के भीतर उड़ानें फिर शुरू की जाएंगी, लेकिन इसके बाद स्पाइस ने लाइटस्ट्र शुरू नहीं की। धीरे-धीरे स्पाइस ने डुमना एयरपोर्ट से अपना पुरा स्टेट-ओन भी समेत लिया था।

क्या आप भी है
सही आई ड्रॉप की तलाश में...?

- Eye Strain
- Eye Dryness
- Eye Tiredness
- Eye Freshness
- Eye Cleanliness

रोजमर्रा की भागदाड़ में न जाने हमारी आंखों में कितना कचरा पड़ जाता है। जो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर 8 घंटे काम करते हैं, ज्यादा टीवी देखते हैं या पूरा दिन मोबाइल पर बिजी रहते हैं, उनकी आंखों में नमी कम हो जाती है। इतना ही नहीं बढ़ता प्रदूषण, आंखों में जलन होना, खुजली, आंखों का थकना और आंखों पर जोर पड़ना आम बात हो गई है।

आंखों के लिए हम तरह-तरह के देसी-अंग्रेजी उपाय भी आजमाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में उपलब्ध औषधियों के इस्तेमाल से हम बिना किसी साईड-इफेक्ट के अपनी आंखों को इन परेशानियों से बचा सकते हैं।

इसलिए दिविसा हर्वल्ज प्रा. लि. आपके लिए लेकर आये हैं आयुर्वेदिक 'आई मंत्रा' आई ड्रॉप्स। जो बना है गुलाब, दारुहल्दी, राहद, आंवला, तुलसी और पुदीना जैसी 12 आयुर्वेदिक औषधियों से। आयुर्वेदिक होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।

दिशानिर्देश: 2 से 3 ड्रॉप्स दिन में तीन बार या चिकित्सकीय परामर्शानुसार इस्तेमाल करें।
24x7 HELPLINE : 8196822222 • Available at all leading medical stores.

